फर्द अहकाम

दयालसिंह बनाम दौलतसिंह वगैरह

न्यायालय

केस संख्या 13/15 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01/2/18	वा.प. 3/40 प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु समय चाहा है। 200/- दो सौ रुपये की कॉस्ट पर अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस हेतु दिनांक 08/3/18 को पेश हो।	
	08/3/18	वकीलों द्वारा आज कार्यविरत/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 19/4/18 को पेश हो।	
	19/4/18	वकीलों द्वारा आज कार्यबहिष्कार/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 14/6/18 को पेश हो।	
	14/6/18	आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोरीग्राम अचलपुरा (चौमूं) में पेश हुई। वा.प. 3/40/प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC पर सुना गया। प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाता है वादी का वाद खारिज किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा हेतु दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	दौलतसिंह प्रतिवादी स्वयं

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:49:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा)

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S)

उनवान

1. दयालसिंह पुत्र श्री दौलत सिंह, उम्र 53 वर्ष, जाति राजपूत निवासी ग्राम अणतपुरा–चिमनपुरा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर (राजस्थान)।
2. सुमेरसिंह पुत्र श्री दौलत सिंह, उम्र .... वर्ष, जाति राजपूत निवासी ग्राम अणतपुरा–चिमनपुरा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर (राजस्थान)।

...वादीगण

बनाम

1. दौलत सिंह पुत्र स्व0 श्री सोहन सिंह
2. किशन सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह
3. भवानी सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह
4. तारासिंह पुत्र श्री दौलत सिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम अणतपुरा–चिमनपुरा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर (राजस्थान)।
5. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, चौमूं, जिला जयपुर।
6. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

...प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राजात एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा नम्बर :–104/15

वादी की ओर से [illegible] से वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज ता[illegible]018 को **सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S)**, सहायक कल[illegible] जाता है और डिक्री दी जाती है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:49:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र O7R11CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 14.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुश्री सीमा शर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
चौमूं (जयपुर)

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		वकालतनामा की फीस	1.00
4. वकालतनामा फीस	1.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	3.00	जोड़	1.00

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:49:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर
(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा)
पीठासीन अधिकारी:—सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :— 13/15

उनवान

3. दयालसिंह पुत्र श्री दौलत सिंह, उम्र 53 वर्ष, जाति राजपूत निवासी ग्राम अणतपुरा—चिमनपुरा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर (राजस्थान)।
4. सुमेरसिंह पुत्र श्री दौलत सिंह, उम्र .... वर्ष, जाति राजपूत निवासी ग्राम अणतपुरा—चिमनपुरा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर (राजस्थान)।

...वादीगण

बनाम

8. दौलत सिंह पुत्र स्व0 श्री सोहन सिंह
9. किशन सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह
10. भवानी सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह
11. तारासिंह पुत्र श्री दौलत सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम अणतपुरा—चिमनपुरा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर (राजस्थान)।
12. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, चौमूं, जिला जयपुर।
13. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

...प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

आदेश

दिनांकः—14.06.2018

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि विवादग्रस्त सम्पति जो खसरा नं0 197 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 200 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 201 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 227 रकबा 0.30 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर ग्राम अणतपुरा—चिमनपुरा तहसील चौमूं में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 की पत्नि श्रीमती रामकंवर के नाम से राजस्व इन्द्राज में दर्ज थी जो प्रतिवादी सं0 1 ने अपने स्व—अर्जित धन से अपनी दिवंगत पत्नि रामकंवर के नाम से क्रय की थी तत्पश्चात् पति—पत्नि दोनों इस आराजीयात पर काबिज काश्त हकदार ... थे प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 की पत्नि के निधन के बाद उक्त आराजीयात ... /प्रतिवादी सं0 1 के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:49:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

रालस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुई तथा बाद में प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त आराजीयात को अपनी बहुओं के नाम बक्शीश कर दी। इस प्रकार उक्त आराजीयात से प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का किसी प्रकार से लेना देना नहीं रहा है। इस वजह से दावा गलत तथ्य के आधारित पेश किया गया है और न्याय के अनुसार चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम अणतपुरा–चिमनपुरा में पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र O7R11CPC का जवाब न देकर सीधी बहस की गई। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं0 1 को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है, ना कि उसकी पुश्तैनी भूमि है। जबकि वाद पत्र में उक्त भूमि को पुश्तैनी भूमि बताई जाकर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण उक्त अनुतोष अपनी पैतृक भूमि में ही प्राप्त कर सकता है, ना कि प्रतिवादीगण सं0 1 को जरिये वसीयत से प्राप्त हुई भूमि में। जिस कारण वादीगण का वाद चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र O7R11CPC स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम अणतपुरा–चिमनपुरा में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:49:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner